

कार्यालय मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- अनु.-प्रथम/सी/2018/05

दिनांक: 15/01/2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान सेवा नियमावली के नियम-56 के प्रावधानानुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्नांकित अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारियों को अधिवाषिकी आयु 60 वर्ष (अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक) पूर्ण करने के फलस्वरूप वर्ष 2018-19 में उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक को तुरन्त प्रभाव से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क. सं.	कर्मचारी का नाम मय पिता का नाम एवं पदनाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम	जन्म दिनांक	अधिवाषिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	राज्य सेवा से सेवानिवृत्ति की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री शान्ति स्वरूप, वरिष्ठ प्रारूपकार	वृत्त-कोटा	14.05.58	13.05.18	31.05.18
2	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा पुत्र श्री परशुराम शर्मा, कनिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्यालय जयपुर	30.05.58	29.05.18	31.05.18
3	श्री बनवारी लाल सैनी पुत्र श्री चुन्नी लाल सैनी, राजस्व निरीक्षक	रा.रा.मार्ग वृत्त-जयपुर	01.7.58	30.06.18	30.06.18
4	श्री रमेश चन्द गुप्ता पुत्र श्री शिव लाल गुप्ता, वास्तुविद् सहायक	वृत्त-बीकानेर	23.07.58	22.07.18	31.07.18
5	श्री हनुमान लाल यादव पुत्र श्री भगवान सहाय यादव, कनिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्यालय जयपुर	11.08.58	10.08.18	31.08.18
6	श्री अशोक कुमार पारीक पुत्र श्री शान्ति लाल पारीक, कनिष्ठ प्रारूपकार	जिला खण्ड-अजमेर	19.09.58	18.09.18	30.09.18
7	श्री राजसिंह पुत्र श्री रणजीत सिंह, अनुरेखक	खण्ड-झालावाड़	23.09.58	22.09.18	30.09.18
8	श्री पृथ्वी राज वर्मा पुत्र श्री बाबूलाल, वरिष्ठ प्रारूपकार	मुख्य अभियन्ता कार्यालय जयपुर	11.10.58	10.10.18	31.10.18
9	श्री खेम चन्द वर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण वर्मा, अनुरेखक	रा.रा.मार्ग खण्ड-जयपुर	17.11.58	16.11.18	30.11.18
10	श्री क्षेमराज पुत्र श्री मुन्शी लाल, वरिष्ठ प्रारूपकार	वृत्त-बीकानेर	14.12.58	13.12.18	31.12.18
11	श्री आनन्दी लाल माथुर पुत्र श्री मूलचन्द माथुर, नीलमुद्रक	खण्ड-नागौर	15.12.58	14.12.18	31.12.18
12	श्री अमर चन्द कनोजिया पुत्र श्री महावीर प्रसाद, नीलमुद्रक	विद्युत खण्ड-प्रथम, जयपुर	10.01.59	09.01.19	31.01.19
13	श्री ओम प्रकाश टॉक पुत्र श्री रामपाल टॉक, वरिष्ठ प्रारूपकार	नगर खण्ड-अजमेर	04.03.59	03.03.19	31.03.19
14	श्री गोपी लाल मीणा पुत्र श्री कानाराम मीणा, अनुरेखक	शहर वृत्त-जयपुर	07.03.59	06.03.19	31.03.19

संबंधित कार्यालय अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय की मंशा के अनुरूप राजकीय आवास में अधिवासित के मामलों में आवंटी की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास रिक्त करवायें एवं राज्य सेवा से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी की पेंशन, ग्रेच्युटी, बकाया दावों, यात्रा भत्ता, वेतन निर्धारण आदि को अन्तिम रूप देते हुए इस कार्यालय को अवगत करावें ।

उपरोक्त सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के सेवा अभिलेख से उनके नाम व अन्य सेवा विवरण का मिलान करें तथा यदि कोई विभागीय जांच बकाया/विचाराधीन हो तो इस कार्यालय को अवगत करावें तथा कर्मचारी का पेंशन प्रकरण नियमानुसार तैयार कर पेंशन विभाग को भिजवाते हुए इस कार्यालय को सूचित करें ।

उक्त कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जांच शेष हो, अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधी प्रकरण हो, स्टोर में कमी संबंधी प्रकरण या अन्य प्रकरण हो तो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति होने से पूर्व कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

समस्त अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सम्भागों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ वृत्त/खण्ड/उपखण्ड स्तर पर कार्यरत अधीनस्थ संवर्ग के कर्मचारी जिन्होंने 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु उसका नाम उक्त आदेश में सम्मिलित होने से रह गया हो तो आप तत्काल इस कार्यालय को अवगत करावें ताकि कार्मिक के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये जा सकें ।



(सी.एल.वर्मा)

मुख्य अभियन्ता एवं अति० सचिव
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर

क्रमांक:एफ. 44(14)/अनु.प्रथम/सी/2018/प्रे०-105

दिनांक: 15/01/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेन्शन विभाग, राज० जयपुर ।
2. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज० जयपुर ।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सानिवि संभाग-समस्त ।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, (विद्युत), सानिवि जयपुर/जोधपुर ।
5. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय-समस्त
6. अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त-समस्त ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, सानिवि खण्ड-समस्त ।
8. अधिशाषी अभियन्ता (मुख्यालय), सानिवि राज० जयपुर ।
9. संयुक्त निदेशक, आईटी, सानिवि राज० जयपुर को उक्त आदेश को वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।
10. उद्यान विज्ञ, सानिवि राज० जयपुर ।
11. वरिष्ठ अधीक्षक उद्यान/अधीक्षक उद्यान, सानिवि-समस्त ।
12. श्री
13. निजी सचिव, मु.अ./अनुभाग-8 (जांच अनुभाग)/मुख्य वास्तुविद्/वित्तीय सलाहकार /संयुक्त विधि परामर्शी ।
14. व्यक्तिगत/रक्षित पत्रावली ।



(सुनील जयसिंह)

अधीक्षण अभियन्ता एवं तक. सहा. प्रथम
सार्वजनिक निर्माण विभाग राज० जयपुर